

08.8.17

यार राय के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्य. सी. 02/17
श्री पत्रावली दिनांक 08.09.17 को पत्र है।



08.09.2017

अभिभाषक उपपत्र उपस्थित है। रेस्पोंडि सं: 3 ला 5 के सम्बन्ध आड नार्मल ग्राह ड्यु रेस्पोंडि सं: 03 की नार्मल स्पयं पर एवं रेस्पोंडि सं: 4 पर 5 की नार्मल उसके आई डी लान पर डूई डी रेस्पोंडि सं: 3 ला 5 उपस्थित नहीं है। रिपोर्ट ग्राह नहीं डूआ है। रिपोर्ट हेतु लिखा जाये। पत्रावली सिमांक 05.10.2017 को पेश हो।

5.10.17

ओडिशा पब्लिक उज्जयपत्र उपस्थित है।
रिपोर्ट नैपथ करू पत्रावली रिपोर्ट
10.11.17 को पेश हो।

10.11.17

अभिभाषक उज्जयपत्र उपस्थित है। रिपोर्ट ग्राह नहीं डूआ करू। पुनः लिखा जाये। पत्रावली ग्राह रिपोर्ट सिमांक 08.12.2017 को पेश है।

08.12.2017

अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने स्वयं उपस्थित होकर निवेदन किया कि अनवानी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। इसलिए लोक अदालत की भावना से अपने अपील प्रकरण को प्रार्थी इसी स्ट्रेज पर दाखिल दफतर करवाना चाहता है। साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने नोटप्रेस कर प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। अतः अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा नोटप्रेस करने के कारण, हस्तगत अपील नोटप्रेस में खारिज की जाती है। आदेशिका की सम्बन्धित तहसीलदार को भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।



श्री. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्री. जिला कलेक्टर

am1 PM7/13